

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, नालंदा के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना में मृत 04 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 400000/- (चार लाख रूपए) एवं 02 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 60000/- (साठ हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 460000/- (चार लाख साठ हजार रूपए) मात्रमात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० रीता देवी उर्फ गीता देवी, अनु० जाति	श्री पवन पासवान(पति)	700/14.9.15	ग्रा०-गुजरचक, पं०+था०+प्र०-चण्डी, नालंदा	14020001 00253600	पंजाब नेशनल बैंक, चंडी PUNB0140200	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूरी
2	स्व० तनुजा देवी, सामान्य	श्री संजय मिस्त्री(पति)	तदैव	ग्रा०-मशहरी, पं-घुरगाम, पो०-एकंगरडीह, था०+प्र०-एकंगरसराय, नालंदा	32385763 79	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBIN0281280	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि श्रमिक कामगार
3	स्व० टुनटुन कुमार तांती, स्व० रामधारी तांती, सामान्य	श्री दीपक कुमार(पुत्र)	747/12.11.16	ग्रा०-शामाबाद, पो०-अम्बा, था०+प्र०-रहुई, नालंदा	20840001 00100536	पंजाब नेशनल बैंक PUNB0208400	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, सेटिंग व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० छोटेराम, स्व० बालकेश्वर राम, अनु० जाति	श्रीमती जूली देवी(पत्नी)	746/12.11.16	ग्रा०-नगमा, था०-दीपनगर, प्र०-बिहारशरीफ, नालंदा	75151700 001337	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, बिहारशरीफ PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	स्व० मनोज प्र० उर्फ मनोज कुमार, श्री देवनन्दन प्रसाद, सामान्य	श्रीमती अनिता देवी(पत्नी)	745/9.11.16	ग्रा०-धनपत विगहा, पो०-सुहावनपुरी, था०+प्र०-इसलामपुर, नालंदा	75151700 001142	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि व्यवसाय में कामगार
6	स्व० माधुरी देवी, सामान्य	श्री कारू सिंह(पति)	744/9.11.16	ग्रा०-दोरीपर, था०+प्र०-करायपरशुराय नालंदा	59144585 613	इलाहाबाद बैंक, ALLA0210849	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 460000/-

(चार लाख साठ हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-29/2015 के पृष्ठ-42/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)
लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-29/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-29/2015-498

पटना, दिनांक :-24-08-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 460000/- (चार लाख साठ हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, नालंदा को उनके पत्रांक 622 दिनांक 1.9.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, नालंदा को उनके ज्ञापांक 700 दिनांक 14.9.15, 746, 747 दिनांक 12.11.16, 744, 745 दिनांक 9.11.16 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/आईटी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

31/8/18
23.10.18
(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

23/8/18
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

23/8/18
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।